

रक्षा लेखा महानियंत्रक

Controller General of Defence Accounts

उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली कैंट 110010

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा./XIV/19015/सरकारी आदेश/2015
No. AN/XIV/19015/Govt. Orders/2015

दिनांक 04.12.2015

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक

All PCsDA/CsDA

(र०ले०महानियंत्रक मेल सर्वर के द्वारा/Through CGDA Mail Server)


विषय: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता ।

Sub: Grant of Transport Allowance to Central Government employees-reg.

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 06.08.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21(2)/2015-ई.II(बी), जो कि रक्षा मंत्रालय (वित्त), र०ले०वि० समन्वय, की दिनांक 01.12.2015 की आईडी नोट संख्या 10(3)/C/2015(2962) के द्वारा प्राप्त, की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है ।

A copy of Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) Office Memorandum No. 21(2)/2015-E.II(B), dated 06.08.2015, received under MOD (Fin), DAD Coord ID Note no. 10(3)/C/2015(2962) dated 01.12.2015 on the above subject is forwarded herewith for your information, guidance and necessary action please.

संलग्नक: यथोपरि


(अजय गोयल)

कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासन-4 ।
2. लेखा परीक्षा - 1, 2 एवं 4 (स्थानीय) ।
3. लेखा परीक्षा (समंजस) अनुभाग (स्थानीय) ।
4. ई.डी.पी. सेंटर (स्थानीय) :- रक्षा लेखा महानियंत्रक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केंद्र, बरार स्कवायर, दिल्ली छावनी ।
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय) ।
7. मास्टर नोट बुक प्रशासन-14 ।
8. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.) पुणे {द्वारा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अधिकारी) पुणे} ।
9. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए. (मु०) कोलकाता {द्वारा प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्री) कोलकाता} ।


(अजय गोयल)

कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

कार्यालय ज्ञापन


विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के 29 अगस्त, 2008 के का.ज्ञा. सं.21(2)/2008-ई.II(बी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. सरकार ने परिवहन भत्ते के प्रयोजनार्थ जनगणना- 2011 (जनसंख्या मानदण्ड) के अनुसार शहरों/कस्बों/स्थानों के पुनर्वर्गीकरण पर विचार किया है। तदनुसार, राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुबंध-I के अनुसार उच्चतर दरों पर परिवहन भत्ता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ शहरों, कस्बों और स्थानों के संशोधित वर्गीकरण का निर्णय लिया है। अतः दिनांक 29.08.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा '1' के नीचे दी गई तालिका में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:

कर्मचारियों द्वारा आहरित ग्रेड वेतन	परिवहन भत्ते की प्रतिमाह स्वीकार्य दरें	
	अनुबंध-I के अनुसार वर्गीकृत शहर	अनुबंध-I में शामिल शहरों से भिन्न सभी शहर, कस्बे और स्थान
5400/-रु. और अधिक ग्रेड वेतन	3200/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता	1600/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता
4200/-रु., 4600/-रु. और 4800/-रु. ग्रेड वेतन	1600/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता	800/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता
4200/-रु. से कम ग्रेड वेतन आहरित कर रहे किंतु 7440/-रु. के समकक्ष और अधिक के वेतन बैंड में वेतन आहरित कर रहे कर्मचारी		
4200/-रु. से कम ग्रेड वेतन और 7440/-रु. से कम के वेतन बैंड में वेतन	600/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता	400/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता

- परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ शहरों/कस्बों/स्थानों का संशोधित वर्गीकरण 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगा।
- व्यय विभाग के दिनांक 29.08.2008 के का.ज्ञा. सं.21(2)/2008-ई.II(बी) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
- ये आदेश केन्द्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों के लिए लागू होंगे। ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। सशस्त्र बल कर्मियों और रेल कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
- जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।


(सुभाष चन्द्र)
निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

जनगणना- 2011 के अनुसार शहरों/कस्बों के पुनर्वर्गीकरण के पश्चात् परिवहन भत्ते की उच्चतर दरों के लिए पात्र शहरों की सूची (1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहर/कस्बे का नाम
(i)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-
(ii)	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	हैदराबाद (यूए)
(iii)	अरुणाचल प्रदेश	-
(iv)	असम	-
(v)	बिहार	पटना (यूए)
(vi)	चंडीगढ़	-
(vii)	छत्तीसगढ़	-
(viii)	दादर और नगर हवेली	-
(ix)	दमन और दीव	-
(x)	दिल्ली	दिल्ली (यूए)
(xi)	गोवा	-
(xii)	गुजरात	अहमदाबाद (यूए); सूरत (यूए)
(xiii)	हरियाणा	-
(xiv)	हिमाचल प्रदेश	-
(xv)	जम्मू और कश्मीर	-
(xvi)	झारखंड	-
(xvii)	कर्नाटक	बंगलौर/बंगलूरु (यूए)
(xviii)	केरल	कोच्चि (यूए); कोझिकोड (यूए)
(xix)	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	-
(xx)	मध्य प्रदेश	इंदौर (यूए)
(xxi)	महाराष्ट्र	बृहन मुंबई (यूए); नागपुर (यूए); पुणे (यूए)
(xxii)	मणिपुर	-
(xxiii)	मेघालय	-
(xxiv)	मिजोरम	-
(xxv)	नगालैंड	-
(xxvi)	ओडीशा	-
(xxvii)	पुद्दुचेरी (पांडिचेरी)	-
(xxviii)	पंजाब	-
(xxix)	राजस्थान	जयपुर (यूए)
(xxx)	मिक्किम	-
(xxxii)	तमिलनाडु	चेन्नै (यूए); कोयम्बतूर (यूए)
(xxxiii)	त्रिपुरा	-
(xxxiv)	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद (यूए); कानपुर (यूए); लखनऊ (यूए)
(xxxv)	उत्तराखंड	-
(xxxvi)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (यूए)

No. 21(2)/2015-E.II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 6th August, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- **Grant of Transport Allowance to Central Government employees.**

Reference is invited to Ministry of Finance, Department of Expenditure O.M. No. 21(2)/2008-E.II(B) dated 29th August, 2008 regarding grant of Transport Allowance to Central Government employees, consequent upon implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission (6th CPC).

2. The Government has since considered the re-classification of cities/towns/localities as per Census-2011 (population criteria) for the purpose of Transport Allowance. Accordingly, the President is pleased to decide the revised classification of cities, towns and localities, for the purpose of grant of Transport Allowance **at higher rates** to Central Government employees, as per **Annexure-I**. Therefore, the table below para '1' of O.M. dated 29.08.2008 stands partially modified as under:-

Employees drawing Grade Pay of	Rates of Transport Allowance admissible per month	
	Cities classified as per Annexure-I	All cities, towns and localities, <i>other than those included in Annexure-I</i>
Grade Pay of ₹5400/- and above	₹3200/- plus Dearness Allowance thereon	₹1600/- plus Dearness Allowance thereon
Grade Pay of ₹4200/-, ₹4600/- and ₹4800/-	₹1600/- plus Dearness Allowance thereon	₹800/- plus Dearness Allowance thereon
Those drawing Grade pay below ₹4200 but drawing pay in pay band equivalent to ₹7440/- and above		
Grade pay below ₹4200 and pay in pay band below ₹7440/-	₹600/- plus Dearness Allowance thereon	₹400/- plus Dearness Allowance thereon

3. The revised classification of cities/towns/localities for the purpose of grant of Transport Allowance shall take effect from **1st April, 2015**.


...2/-

4. The orders will apply to all civilian employees of the Central Government. The orders will also be applicable to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and the Ministry of Railways, respectively.

5. All other conditions mentioned in Department of Expenditure O.M. No. 21(2)/2008-E.II(B) dated 29.08.2008 shall remained unchanged.

6. In so far as the persons working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, this Order issues in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

7. Hindi version is attached.


(Subhash Chand)
Director

To,

All Ministry/Departments of Government of India (As per standard distribution list)

Copy to C&AG and U.P.S.C., etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.

LIST OF CITIES AND TOWNS ELIGIBLE FOR HIGHER RATES OF TRANSPORT ALLOWANCE ON RE-CLASSIFICATION OF CITIES/TOWNS AS PER CENSUS-2011 (WITH EFFECT FROM 1ST APRIL, 2015)

SI. No	NAME OF THE STATE/ UNION TERRITORIES	NAME OF THE CITY/TOWN
(i)	ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	---
(ii)	ANDHRA PRADESH/ TELANGANA	Hyderabad(UA)
(iii)	ARUNACHAL PRADESH	--
(iv)	ASSAM	--
(v)	BIHAR	Patna(UA)
(vi)	CHANDIGARH	--
(vii)	CHHATTISGARH	--
(viii)	DADRA & NAGAR HAVELI	--
(ix)	DAMAN & DIU	--
(x)	DELHI	Delhi(UA)
(xi)	GOA	--
(xii)	GUJARAT	Ahmadabad(UA); Surat(UA)
(xiii)	HARYANA	--
(xiv)	HIMACHAL PRADESH	--
(xv)	JAMMU AND KASHMIR	--
(xvi)	JHARKHAND	--
(xvii)	KARNATAKA	Bangalore/Bengaluru(UA)
(xviii)	KERALA	Kochi(UA); Kozhikode(UA)
(xix)	LAKSHWADEEP ISLANDS	--
(xx)	MADHYA PRADESH	Indore(UA)
(xxi)	MAHARASHTRA	Greater Mumbai(UA); Nagpur(UA); Pune(UA)
(xxii)	MANIPUR	--
(xxiii)	MEGHALAYA	--
(xxiv)	MIZORAM	--
(xxv)	NAGALAND	--
(xxvi)	ODISHA	--
(xxvii)	PUDUCHERRY (PONDICHERY)	--
(xxviii)	PUNJAB	--
(xxix)	RAJASTHAN	Jaipur(UA)
(xxx)	SIKKIM	--
(xxxi)	TAMIL NADU	Chennai(UA); Coimbatore(UA);
(xxxii)	TRIPURA	--
(xxxiii)	UTTAR PRADESH	Ghaziabad(UA); Kanpur(UA); Lucknow(UA)
(xxxiv)	UTTARAKHAND	--
(xxxv)	WEST BENGAL	Kolkata(UA)